पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 160/2020

1. सुरजीतसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
2. सतवीरसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. हंसराज पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
2. शारदा पुत्री हंसराज पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामसरा की जमांवदी सवंत 2073–76 में खाता स0 129/123 के खसरा स0 186/3 की 7.5880है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 हंसराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाए वादीगण को 6.0700है0 बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं0 1 हंसराज को 1.518है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 02 शारदा ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09-3-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:46 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 160/2020

1. सुरजीतसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
2. सतवीरसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. हंसराज पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
2. शारदा पुत्री हंसराज पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनिवाल : वादीगण

वकील श्री विनोद शर्मा: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 09-03-21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामसरा की जमांवदी सवंत 2073–76 में खाता स0 129/123 के खसरा स0 186/3 की 7.5880है0 वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 हंसराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादीगण के दादा मघाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मघाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 हंसराज ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हकं एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु. सुरजीतसिंह [illegible] ह[illegible] जाति जाट निवासी रामसरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में [illegible] जमाबंदी [illegible]रा संवत 2073–76 प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श 2 [illegible] भू प्रबन्धक विभाग प्रदर्श 3 व 4 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:46 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में

Scanned with CamScanner

दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। वाद भूमि के अलावा भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अन्य कृषि भूमि है अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही रामसरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रामसरा संवत 2073–76 प्रदर्श 1 जमाबंदी सवंत 2071–74 प्रदर्श 2 जमांबदी भू प्रबन्धक विभाग प्रदर्श 3 व 4 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 3 व 4 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 5 में वारिस प्रमाण के अनुसार हंसराज के दो पुत्र सुरजीतसिंह व सतवीरसिंह तथा एक पुत्री शारदा तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के नाम प्रदर्श 2 के अनुसार अन्य भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अतः मुताबिक राजीनामा रोही मौजा रामसरा की जमांबदी सवंत 2073–76 में खाता स0 129/123 के खसरा स0 186/3 की 7.5880है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 हंसराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादीगण को 6.0700है0 बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं0 को 1.518है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना है चुकिं प्रतिवादीयां स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामसरा की जमांबदी सवंत 2073–76 में खाता स0 129/123 के खसरा स0 186/3 की 7.5880है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 हंसराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हंसराज के बजाए वादीगण को 6.0700है0 बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं0 1 हंसराज को 1.518है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 02 शारदा ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07-05-21 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:10:46 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner